प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' एक '

Scan10032.JPG

[23/3/2018]

प्रश्न सं. [क्र. 5405]

क्र0 5638 5405

परिशिष्ट - " अ "

कार्यालय थाना प्रभारी थाना यातायात जिला–कटनी (म0प्र0)

क्रमांक / था0प्र0 / कटनी / याता / 299 / 2018 — दिनॉक:– 12 / 03 / 2018

प्रति,

कार्यपालन यंत्री
नगर पालिका निगम, कटनी

विषयः– विधानसभा अतारांकित प्रश्न कमांक–5405 की संशोधित जानकारी बाबत् ।
सन्दर्भ :– पत्र कमांक / 6307 / लोनिवि / वि.स. / 2018 कटनी दिनांक 09.03.2018

---000---

कृपया विषयान्तर्गत सन्दर्भित लेख है कि विधानसभा अतारांकित प्रश्न कमांक–5405 की संशोधित संबंधित मोबिलिटी प्लान की जानकारी चाही गई है । उक्त एक्सीडेंट के कारण एवं उसका निराकरण (सुझाव) निम्नानुसार है–

जिसका संभवतः मूल कारण निम्न है:–

(1) जिला कटनी शहर मे देहात क्षेत्रों की ओर चलने वाली बसों की संख्या नगण्य है कटनी शहर पूरा औधोगिक (इण्डट्रीयल) क्षेत्र है इसमे काम करने वाले काफी संख्या मे श्रमिक वर्ग देहातों से अप–डाउन करते हैं । बसों के अभाव मे श्रमिक आटो / मैजिक मे ओवर लोड होकर आने–जाने के लिये मजबूर होते है, जिससे दुर्घटना होने की सम्भावना बनी रहती है ।

(2) झुकेही से छपरवाह तक एन0एच0–7 तक निर्माणाधीन रोड का कार्य पैचों मे पूर्ण किया जा रहा जिससे कंही कच्ची कंही पक्की रोड मिलती है निमार्ण सामग्री भी रोड के साईड मे डाल देते हैं जिससे वाहन चालकों को सामग्री एवं कच्ची रोड का अंदाज नही हो पाने से भी दुर्घटनाएं घटित हो रही है ।

(3) निर्माणाधीन रोड मे डस्ट उड़ती है जिससे रात्रि मे विजिविल्टी की कमी होने से भी दुर्घटनाऐं घटित होती हैं ।

सुझाव :–

(1) शहर से देहातों के लिये सिटी बसों का चलाया जाना अति आवश्यक है ।

(2) ड्रायविंग लायसेंस के बनाने के नियम सख्त होना चांहिये।

(3) ड्रायविंग लायसेंस के बिना वाहन चलाने पर वाहन जप्त हो जाना चाहिये एवं भारी प्रतिभूति पर ही न्यायालय से छोड़ा जाना चाहिये। संमन शुल्क प्रावधान नहीं होना चाहिये।

(4) सड़क दुर्घटनाओं में वास्तविक विवेचना होना जरूरी है क्योकि ज्यादातर मोटर साइकिल एवं कार चालक ही दुर्घटना का कारण है किन्तु चूँकि मृत्यु भी उन्हीं की होती है अतः बड़े वाहन के विरूद्ध कार्यवाही कर दी जाती है। जबकि यदि वास्तविक विवेचना हो तो छोटे वाहन जिसमें व्यक्ति मृत या घायल हुआ है उसी की गलती पाई जावेगी किन्तु ऐसा करने पर जन भावनाएं भड़क सकती है। इस पर विचार किया जाना आवश्यक है।

बिन्दु कमांक– 23 के अनुसार थाना तिराहा से रेल्वे स्टेशन तक यातायात सुधार संबंधी की गई कार्यवाही निम्नानुसार –

1. ट्राफिक इंफोर्समेंट संबंधी–

   A-थाना तिराहा से स्टेशन चौराहा तक आटो चालकों द्वारा अत्याधिक धमाचौकडी मचाई जाती है ।

   :– थाना तिराहा से स्टेशन चौक तक आटो चालकों की लगातार धमाचौकड़ी होती थी जिसको नियंत्रित करने हेतु आटो चालकों का प्रवेश स्टॉपर लगाकर थाना तिराहा से स्टेशन चौक तक प्रतिबंधित कराया गया ।

अवर सचिव / अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

अपर आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म. प्र. भोपाल

B-मार्ग के किनारे ग्रामीणजन द्वारा फुटपाथ पर सब्जी की दुकानें लगा ली जाती है तथा फलों एवं सब्जी के ठेले रोड के किनारे ही खड़े होकर बेचते हैं, जिससे रोड सकरी हो जाती है तथा वंहा का आवागमन अवरूद्ध होने लगता है ।
:-- थाना तिराहा से हनुमान मंदिर तक रोड मे लगने वाली सब्जी ,फल के ठेलें को यातायात पुलिस, नगर निगम अतिकमण दस्ता व थाना कोतवाली स्टाफ के सहयोग से हटवाया गया।

2. अन्य समस्याएँ :-- गांधी द्वार मे ही ऑन--लाईन फार्म भरे जाते हैं जिससे नवयुवक एवं नवयुक्तियों की अत्याधिक भीड़ हमेशा लगी रहती है । वहाँ पार्किंग की व्यवस्था न होने से जाम की स्थिति निर्मित होती है ।
:-- इस संबंध मे दिनांक 29.12.2017 को पुलिस कन्ट्रोल रूम कटनी मे आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक मे गांधी द्वार के अन्दर लगने वाली दुकानों को साधुराम स्कूल अथवा पुराने एसडीएम कार्यालय के पास शिफ्ट किया जाने का प्रस्ताव रखा गया था इस पर चर्चा की जाकर कलेक्टर के द्वारा उक्त संबंध में व्यवस्था किये जाने हेतु आयुक्त नगर निगम को निर्देश दिये गये है।

(2) उपरोक्त कार्यवाही मे प्राप्त सफलताएं :--

1. थाना तिराहा से रेल्वे स्टेशन चौराहा तक आटो चालकों का प्रवेश प्रतिबंधित करने से जाम की स्थिति से काफी हद तक निजात मिली है ।
2. थाना तिराहा से बरही नाका रोड के मध्य थर्मो पेंन्ट से पटटे डलवाकर दो पहिया वाहनों की पार्किंग व्यवस्था की गई है ।
3. मुख्य मार्ग थाना तिराहा से रेल्वे स्टेशन तक दुकानों के अतिकमण को नगर निगम यातायात पुलिस व कोतवाली थाना स्टाफ के सहयोग से हटवाया गया । वाहन चालकों एवं फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों को फुटपाथ मे दुकान न लगाने की समझाईश दी गई । नही मानने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही एवं फुटपाथ पर दुकानदारों के विरूद्ध धारा 34 पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई ।
4. प्रयोग के तौर पर थाना तिराहा से स्टेट बैंक तिराहा तक स्टापर्स लगाकर डिवाइडर बनाया गया जिससे उस क्षेत्र मे लगने वाले जाम से निजात मिली है ।

(3) उपरोक्त प्रकिया के अनुभवों के आधार पर सुझाव –

1. फल एवं सब्जी विकेताओं के लिये पूर्व से चिन्हित सब्जी मण्डी (पुराना आर0टी0ओ0 कार्यालय के पास) को सर्वसुविधायुक्त करके विकसित किया जाना अति–आवश्यक है ।
2. थाना तिराहा मे एसबीआई बैंक रोड मिशन चौक एवं सुभाष चौक तीनों रोडों के वाहनों का दबाव रहता है। अतः तिराहे को विकसित किया जाकर ट्रेफिक सिग्नंल लगाया जाना उचित होगां ।
3. कटनी शहर चूँकि मिशन चौक से स्टेशन चौराहे के बीच मात्र ढाई से तीन कि0मी0 मे पूरा बाजार सीमित है जिसके कारण दो पहिया(रोड़ के मध्य मे) एवं चार पहिया वाहनों की पार्किंग (साधूराम स्कूल का ग्राउण्ड) जो नियत की गई है वो स्थान पर्याप्त नही है । इसके लिये शहर के मध्य स्थित क्षेत्र जो अनुपयोगी पड़ा है (लल्लू भैया की तलैया) उसे पार्किंग स्थल के रूप मे विकसित कर आम नागरिकों के लिये उपलब्ध कराना आवश्यक है ।

अतः चाही गई जानकारी अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है ।

12/3/18

थाना प्रभारी
यातायात कटनी

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

Addl. Comm.
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म. प्र. भोपाल